मुन्तकिली प्रकरण सं0 21/2017 1–निर्मलजीतकौर पत्नि गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 28एच तहसील श्रीकरनपुर 2–नवप्रीत कौर पुत्री गुरजीत सिंह पत्नि अर्शदीप सिंह जाति जटसिख नि0 10 एच सुन्दरपुरा तह0 श्रीगंगानगर 3–अरविन्द्र कौर पुत्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख नि0 28 एच तह0 श्रीकरनपुर बनाम 1–स्टेट ऑफ राज0 2–राजविन्द्र कौर पत्नि मनजिन्द्र सिंह जाति जटसिख न0 1 एक्स तह0 करपुर

03.01.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री अन्ग्रेज सिंह वाल्ला उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर में लंबित फौजदारी प्रकरण सं0 2/2016 अनवानी सरकार बनाम राजविन्द्र कौर आदि अन्तर्गत धारा 145 द.प्र.स. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 411 द.प्र.सं. के तहत पेश किया गया है और अब प्रार्थीगण इस मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर में लंबित फौजदारी प्रकरण सं0 2/2016 अनवानी सरकार बनाम राजविन्द्र कौर आदि अन्तर्गत धारा 145 द.प्र.स. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश किया गया है चूंकि अब प्रार्थीगण मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 द0 प्र0 सं0 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 03.01.18

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर